भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3799

11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- एमआईडीएच के अंतर्गत लागत मानदंड

3799. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत लागत मानदंडों की समीक्षा की है और यदि हां, तो नवीनतम संशोधन किस वर्ष किया गया है तथा प्रमुख हस्तक्षेपों के लिए श्रेणी-वार विद्यमान लागत संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार के पास एमआईडीएच हस्तक्षेपों को कार्यान्वित करने वाले सूचीबद्ध विक्रेताओं/अभिकरणों और उनके माध्यम से स्थापित इकाइयों के आकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणी-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हाँ। सरकार ने विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत किसानों द्वारा आधुनिक बागवानी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लागत मानदंडों की समीक्षा की है। समीक्षा से पता चला कि समय के साथ इनपुट और सामग्रियों की लागत में वृद्धि को देखते हुए, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग और अन्य बागवानी विकास प्रौद्योगिकियों सहित विभिन्न घटकों के लिए लागत मानदंडों में संशोधन की आवश्यकता है। अतः, वर्ष 2025 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के प्रचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए लागत मानदंडों को विस्तारित किया गया है और बागवानी क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को समर्थन देने के लिए प्रावधान किए गए हैं। विस्तृत एमआईडीएच प्रचालन दिशानिर्देश और संशोधित लागत मानदंड एमआईडीएच वेब पोर्टल www.midh.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) एमआईडीएच के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। ये एएपी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी मूल्यांकित आवश्यकताओं, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की जाती हैं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के प्रचालन दिशानिर्देशों में एमआईडीएच हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए विक्रेताओं/एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, एमआईडीएच के मिशन प्रबंधन घटक के अंतर्गत, राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन के लिए राज्य बागवानी मिशनों को कुल वार्षिक आवंटन का 2.5% हिस्सा प्रदान किया जाता है।
